ऑस्ट्रेलिया

और

भारत गणराज्य

के बीच

सामाजिक सुरक्षा पर करार

ऑस्ट्रेलिया और भारत गणराज्य (इसमें इसके पश्चात "संविदात्मक पक्ष" कहलाएंगे),

दोनों देशों के बीच मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ करने की इच्छा से,

और

सामाजिक सुरक्षा लाभों और कवरेज के संबंध में अपने–अपने दोनों देशों के बीच संबंधों को विनियमित करने की इच्छा से,

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं :

भाग I
सामान्य प्रावधान

अनुच्छेद 1
परिभाषाएं

1. जब तक संदर्भ अन्यथा इंगित न करे, इस करार में :

(क) **"लाभ"** से आशय, एक संविदात्मक पक्ष के संबंध में कोई लाभ, पेंशन या भत्ता जिसके लिए उस संविदात्मक पक्ष के विधान में प्रावधान किया गया है, और इसमें ऐसी कोई अतिरिक्त राशि, वृद्धि या अनुपूरक शामिल होंगे, जो उस संविदात्मक पक्ष के विधान के अन्तर्गत उस लाभ, पेंशन या भत्ते के अतिरिक्त देय हों, किन्तु ऑस्ट्रेलिया के लिए अधिवर्षिता की गारण्टी से संबंधित कानून के अन्तर्गत कोई लाभ, भुगतान या हकदारी शामिल नहीं होगी ;

(ख) **"सक्षम प्राधिकरण"** से आशय, ऑस्ट्रेलिया के संबंध में, अनुच्छेद 2 के उप–पैराग्राफ 1(क) (i) में उल्लिखित विधान के लिए जिम्मेदार, कॉमनवेल्थ डिपार्टमेंट के सचिव से है; उस स्थिति में जब करार का भाग II लागू न होता हो, (अर्थात् करार के अन्य भागों सहित क्योंकि वे उस भाग के लागू होने को प्रभावित करते हैं) जहां इसका अर्थ कराधान आयुक्त या आयुक्त के एक प्राधिकृत प्रतिनिधि से है; और भारत के संबंध में, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से है;

(ग) **"सक्षम संस्थान"** से आशय, ऑस्ट्रेलिया के संबंध में, उस संस्थान या अभिकरण से है जिसके पास अनुप्रयोज्य विधान के कार्यान्वयन का कार्य है और भारत के संबंध में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से है;

(घ) **"सरकार"** अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 2 के संबंध में, ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया का एक राजनीतिक उप–प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण शामिल है, और भारत के लिए, अर्ध–सरकारी प्राधिकरण, लोक उपक्रम और पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम शामिल हैं;

(ड.) **"विधान"** से आशय, ऑस्ट्रेलिया के संबंध में करार के भाग II की अनुप्रयोज्यता (करार के अन्य भागों की अनुप्रयोज्यता सहित चूंकि वे उस भाग के लागू होने को प्रभावित करते हैं) जहां इसका आशय अनुच्छेद 2 के उप–पैराग्राफ 1 (क) (ii) में उल्लिखित कानूनों से है, को छोड़कर अनुच्छेद 2 के उप–पैराग्राफ 1 (क) (i) में उल्लिखित कानूनों से है; और भारत के संबंध में अनुच्छेद 2 के उप–पैराग्राफ 1 (ख) में उल्लिखित कानूनों और विनियमों से है;

(च) **"बीमे की अवधि"** से आशय, भारत के संबंध में, भारत के विधान के अन्तर्गत अंशदानों की कोई भी अवधि के साथ–साथ उस विधान के अन्तर्गत समान रुप से मान्य अंशदान की अवधि से है;

(छ) **"ऑस्ट्रेलियाई वर्किंग लाइफ रेजीडेन्स की अवधि"** से आशय, ऑस्ट्रेलिया के विधान में परिभाषित ऐसी किसी अवधि और 16 नवम्बर, 1995 को या उसके बाद घटित किसी अवधि से है;

(ज) **"क्षेत्र"** से आशय, ऑस्ट्रेलिया के संबंध में, ऑस्ट्रेलिया के विधान में ऑस्ट्रेलिया को जिस प्रकार परिभाषित किया गया है, से; और भारत के संबंध में, भारत गणराज्य के क्षेत्र से है।

2. कोई शब्द जिसे इस अनुच्छेद में परिभाषित नहीं किया गया है का अर्थ, जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, वही होगा जो इसे अनुप्रयोज्य विधान में दिया गया है।

अनुच्छेद 2
विधायी क्षेत्र

1. यह करार उन निम्नलिखित कानूनों, जैसे भी उन्हें इस करार के हस्ताक्षर करने की तिथि के दिन संशोधित किया गया है, और कोई भी कानून, जो बाद में उन्हें संशोधित करेंगे, उनके अनुपूरक होंगे या उनका स्थान लेंगे, पर लागू होगाः

(क) ऑस्ट्रेलिया के संबंध मेंः

(i) जहां तक कानून में प्रावधान किए गए हैं, सामाजिक सुरक्षा कानून विरचित करने वाले अधिनियम, वृद्धावस्था पेंशन पर लागू होते हैं या प्रभावित करते हैं;

(ii) अधिवर्षिता गारण्टी से संबंधित कानून (जो इस करार पर हस्ताक्षर के समय अधिवर्षिता गारण्टी (प्रशासन) अधिनियम, 1992, अधिवर्षिता गारण्टी प्रभार अधिनियम, 1992 और अधिवर्षिता गारण्टी (प्रशासन) विनियम, 1993 में शामिल है ;

(ख) भारत के संबंध में, निम्नलिखित से संबंधित विधान से है :

(i) जो नियोजित व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था और उत्तरजीवी पेंशन से संबंधित हो;

(ii) जो नियोजित व्यक्तियों के लिए स्थायी पूर्ण निःशक्तता पेंशन;

2. यदि करार में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, दोनों में से एक संविदात्मक पक्ष के विधान में दोनों में से एक संविदात्मक पक्ष द्वारा किसी तीसरे राज्य के साथ सामाजिक सुरक्षा पर निष्पादित कोई अन्य करार सम्मिलित नहीं होंगे।

3. यह करार दोनों में से एक संविदात्मक पक्षकार के विधान को लाभार्थियों की नई श्रेणियों पर केवल तभी विस्तारित करेगा जब दोनों संविदात्मक पक्ष उस पर लिखित रूप में सहमत होते हैं।

अनुच्छेद 3
व्यक्तिगत क्षेत्र

यह करार किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होगा जो :

(क) ऑस्ट्रेलिया का निवासी है या रह चुका है; या

(ख) ऑस्ट्रेलिया के विधान के अधीन है या रह चुका है; या

(ग) भारत के विधान के अधीन है या रह चुका है,

और ऐसे अन्य व्यक्तियों पर, उन अधिकारों के संबंध में, जो वे ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों से प्राप्त करते हैं।

अनुच्छेद 4
समानता का व्यवहार

जब तक अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, पात्रता के लिए और लाभों, जो संविदात्मक पक्षकार के विधान के अंतर्गत या इस करार की वजह से चाहे प्रत्यक्षतः उत्पन्न होते हों, के भुगतान से संबंधित अधिकारों और बाध्यताओं के संबंध में संविदात्मक पक्ष द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों, जिन पर यह करार लागू होता है, के साथ समान–व्यवहार किया जाएगा।

अनुच्छेद 5
लाभों का निर्यात

1. एक संविदात्मक पक्ष के लाभ, जब इस करार के आधार पर देय होते हैं, तो दोनों पक्षों के ऐसे व्यक्तियों पर लागू होते हैं जो दोनों में से एक संविदात्मक पक्ष के निवासी हैं, और भू–भाग में हैं।

2. ऑस्ट्रेलिया के संबंध में, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, इस समझौते के अंतर्गत देय कोई भी अतिरिक्त राशि, वृद्धिपरक राशि या पूरक राशि, ऑस्ट्रेलिया के बाहर किसी व्यक्ति को केवल सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1991 के प्रावधानों में उल्लिखित अवधि तक ही देय होगी।

भाग-II
कवरेज पर प्रावधान

अनुच्छेद 6
उद्देश्य एवं अनुप्रयोग

1. इस भाग का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे नियोक्ताओं और कर्मचारियों की, जो भारत या ऑस्ट्रेलिया के विधान की शर्त के अधीन हैं, एक कर्मचारी के समरूप कार्य के संदर्भ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के विधान के अंतर्गत दोहरी देयता न हो।

2. यह भाग केवल उस स्थिति में लागू होता है जब कोई कर्मचारी या नियोक्ता किसी कर्मचारी के काम या काम के लिए भुगतान किए गए पारिश्रमिक के संबंध में दोनों संविदात्मक पक्षों के कानूनों के अन्यथा अधीन होगा।

अनुच्छेद 7
राजनयिक एवं सरकारी कर्मचारी

1. यह करार 18 अप्रैल, 1961 को हुए राजनयिक संबंधों पर वियना समझौते या 24 अप्रैल, 1963 को हुए कॉन्सुलर संबंधों पर वियना समझौते के उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगा।

2. सरकारी कर्मचारी या किसी एक संविदाकारी पक्ष के कानून के अनुसार ऐसे माने जाने वाले व्यक्ति, जिन पर इस अनुच्छेद का पैराग्राफ 1 लागू नहीं होता और जिन्हें सरकार द्वारा दूसरे संविदात्मक पक्ष के क्षेत्र में काम करने के लिए भेजा गया हो, केवल प्रथम संविदाकारी पक्ष के विधान के अधीन होंगे।

अनुच्छेद 8
दोहरे कवरेज से बचाव

1. जब तक इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 या 4 में अन्यथा प्रावधान न किया जाए, यदि कोई कर्मचारी किसी संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में काम करता है, तो काम और काम के लिए भुगतान किए गए पारिश्रमिक के संबंध में नियोक्ता एवं कर्मचारी केवल उस संविदाकारी पक्ष के विधान के अंतर्गत आएंगे।

2. यदि कोई कर्मचारी :

(क) एक संविदाकारी पक्ष ('प्रथम संविदाकारी पक्ष') के विधान के अंतर्गत आता है; और

(ख) प्रथम संविदाकारी पक्ष के विधान के अंतर्गत आने वाले नियोक्ता द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष ('द्वितीय संविदाकारी पक्ष') के क्षेत्र में काम करने के लिए भेजा गया था; और

(ग) नियोक्ता के रोजगार या उस नियोक्ता की संबंधित इकाई में दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में काम करता है; और

(घ) दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में स्थायी रूप से काम नहीं कर रहा है; और

(ड.) कर्मचारी को दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में काम करने के लिए भेजे जाने के समय से 5 वर्षों की अवधि पूरी नहीं हुई है;

तो काम और उस काम के लिए प्रदत्त पारिश्रमिक के संबंध में नियोक्ता एवं कर्मचारी प्रथम संविदाकारी पक्ष के विधान के अंतर्गत आएंगे।

3. इस अनुच्छेद के उप–पैराग्राफ 2 (घ) में संदर्भित पांच वर्षों की अवधि को दोनों संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकरणों की आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

4. इस अनुच्छेद के उप–पैराग्राफ 2 (ग) के प्रयोजनार्थ, एक इकाई उस परिस्थिति में एक नियोक्ता की सम्बद्ध इकाई होगी जब इकाई और नियोक्ता समान पूर्ण स्वामित्व वाले या बहुसंख्य स्वामित्व वाले समूह के सदस्य हों।

5. भारतीय झंडे वाले जहाज़ों पर कार्यरत या भारतीय एयरलाइन कंपनी के लिए कार्यरत कर्मचारी यथा–प्रवृत्त भारतीय विधान के अधीन होंगे। तथापि, यदि कोई कर्मचारी ऑस्ट्रेलियाई निवासी है और ऑस्ट्रेलियाई निवासी नियोक्ता के लिए कार्य कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया का विधान भी लागू होगा। दोहरे कवरेज से बचाव हेतु अनुच्छेद 10 में प्रावधान किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 9
तीसरे देशों से अन्यत्र अस्थायी विशेष परिनियोजन

अनुच्छेद 7 पैराग्राफ 2 और अनुच्छेद 8 का पैराग्राफ 2 उस परिस्थिति में लागू होगा जब किसी व्यक्ति को, जिसे उसके या उसकी नियोक्ता द्वारा एक संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र से तीसरे देश के क्षेत्र में भेजा गया हो और बाद में उसे नियोक्ता द्वारा तीसरे देश के क्षेत्र से अन्य संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में भेजा जाता है।

अनुच्छेद 10
अपवाद

सक्षम प्राधिकरण या उनके द्वारा नामोद्दिष्ट सक्षम संस्थाएं, किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों की विशेष श्रेणी के मामले में, इस भाग के प्रावधानों की अनुप्रयोज्यता में आशोधन करने के लिए लिखित रूप में सहमत हो सकती हैं।

अनुच्छेद 11
कवरेज का प्रमाणपत्र

इस भाग के किसी प्रावधान के अनुसार जहां किसी संविदाकारी पक्ष का कानून लागू होता है, वहां संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकरण या उनकी सक्षम संस्था, नियोक्ता के अनुरोध पर, इस आशय का प्रमाणपत्र जारी करेगी कि कर्मचारी उस संविदाकारी पक्ष के विधान के अंतर्गत आता है और उसमें उक्त प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि का भी उल्लेख होगा। दूसरे संविदाकारी पक्ष की सक्षम संस्था, अनुरोध पर इसकी प्रति प्राप्त करने की हकदार होगी।

भाग III
ऑस्ट्रेलियाई लाभों से संबंधित प्रावधान

अनुच्छेद 12
भारत में निवास या उपस्थिति

जहां कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के विधान के अंतर्गत या इस करार की वजह से ऑस्ट्रेलियाई लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करेगा बशर्ते कि वह ऑस्ट्रेलियाई निवासी न हो और लाभ के लिए दावा प्रस्तुत करने की तारीख को ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित न हो, लेकिन वहः

क) ऑस्ट्रेलिया का निवासी है या भारत का निवासी है ; और

ख) ऑस्ट्रेलिया या भारत में मौजूद है;

तो ऑस्ट्रेलिया में रह कर काम करने की न्यूनतम 12 महीनों की अवधि होने पर, उक्त दावे को दर्ज करने के प्रयोजनार्थ, उस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया का निवासी और उस तारीख को ऑस्ट्रेलिया में मौजूद माना जाएगा।

अनुच्छेद 13
समेकन

1. जहां किसी व्यक्ति ने, जिस पर यह करार लागू होता है, इस करार के अंतर्गत कोई ऑस्ट्रेलियाई लाभ का दावा किया है और निम्नलिखित का संचयन कर लेता है :

(क) ऑस्ट्रेलियाई निवासी के रूप में ऐसी अवधि, जो उस व्यक्ति के लिए ऑस्ट्रेलिया के विधान के अंतर्गत, उस आधार पर, उक्त लाभ पाने के योग्य बनाने हेतु अपेक्षित अवधि से कम है; और

(ख) ऑस्ट्रेलिया में रह कर काम करने की अवधि, जो उस व्यक्ति के लिए इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4 के अनुसार निर्धारित अवधि के समान या उससे अधिक है; और

(ग) इस करार के प्रारंभण की तारीख के बाद उपार्जित भारतीय कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में बीमा की अवधि;

तो उस ऑस्ट्रेलियाई लाभ हेतु दावे के प्रयोजनार्थ, भारतीय विधान के अंतर्गत पूरी की गई उक्त बीमा की अवधि, ऑस्ट्रेलिया के विधान के अंतर्गत निर्दिष्ट उक्त लाभ हेतु कोई भी न्यूनतम अर्हता अवधियों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ, ऐसी अवधि मानी जाएगी, जब वह व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया का निवासी था।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, जब कोई व्यक्तिः

(क) ऐसी सतत अवधि के लिए ऑस्ट्रेलिया का निवासी रहा हो जो उस व्यक्ति को लाभ की हकदारी के लिए ऑस्ट्रेलिया के विधान के अनुसार अपेक्षित न्यूनतम सतत अवधि से कम हो; और

(ख) यह समझौता लागू होने के बाद भारत के विधान के अंतर्गत दो या अधिक पृथक–पृथक अवधियों में बीमा की अवधि संचयित कर ली है जो उस उप–पैरा (क) में संदर्भित कुल न्यूनतम अवधि के समान या उससे अधिक हो ;
तो भारत के विधान के अंतर्गत कुल बीमा अवधियों को एक सतत अवधि माना जाएगा।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, जहां किसी व्यक्ति की ऑस्ट्रेलिया के निवासी के रूप में अवधि और भारत के विधान के अंतर्गत बीमा की अवधि सम्पात होती है, तो सम्पात की अवधि ऑस्ट्रेलिया द्वारा केवल एक बार ऑस्ट्रेलिया के निवासी के रूप में गणना हेतु ली जाएगी।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, ऑस्ट्रेलिया में रह कर काम करने की मान्य न्यूनतम अवधि 12 महीने होगी, जिसमें से कम से कम 6 महीने लगातार होने चाहिएं, बशर्ते कि व्यक्ति द्वारा ऐसी समस्त अवधियां भारत के विधान के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन योजना में यथा–विनिर्दिष्ट सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने से पहले संचित कर ली गई हों।

अनुच्छेद 14
ऑस्ट्रेलियाई लाभों का परिकलन

1. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के अधीन, जब केवल इस करार की वजह से किसी ऐसे व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया का लाभ देय हो, जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर है, तो उस लाभ की दर निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी :

(क) ऑस्ट्रेलिया के विधान के अनुसार, भारत के विधान के अंतर्गत देय कोई लाभ, यदि लागू है, जिसे पाने के लिए वह व्यक्ति या उसका पार्टनर पात्र है, के सहित उस व्यक्ति की आय का परिकलन करते हुए ;

(ख) उप पैराग्राफ (क) के अंतर्गत परिकलित व्यक्ति की आय की राशि का उपयोग करते हुए, ऑस्ट्रेलिया के विधान में निर्धारित संगत दर गणक के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई लाभ की अधिकतम दर लागू करते हुए;

(ग) यदि लागू हो, तो उप पैराग्राफ (ख) के अंतर्गत परिकलित लाभ की राशि की समानुपातिकता के माध्यम से, उक्त राशि को व्यक्ति द्वारा ऑस्ट्रेलिया में रह कर काम करने की अवधि (अधिकतम 540 महीने तक) 540 महीनों के विभाजक (45 वर्ष) , से गुना करते हुए।

2. जब कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से ऑस्ट्रेलिया आता है तो इस अनुच्छेद का पैराग्राफ 1, 26 सप्ताहों के लिए निरंतर लागू होगा।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4 की शर्त के अधीन, जब ऑस्ट्रेलिया में मौजूद किसी व्यक्ति को केवल इस करार के आधार पर कोई ऑस्ट्रेलियाई लाभ देय होता है, तो उस लाभ की दर निम्नलिखित रूप से निर्धारित की जाएगी :

(क) ऑस्ट्रेलिया के विधान के अनुसार व्यक्ति की आय परिकलित करते हुए लेकिन उस परिकलन में भारत के विधान के अंतर्गत किसी लाभ को नजरअंदाज करते हुए जिसे पाने के लिए, यदि लागू होता है, वह व्यक्ति या उसका पार्टनर पात्र है; और

(ख) भारत के विधान के अंतर्गत उस लाभ की राशि को ऑस्ट्रेलियाई लाभ की अधिकतम दर से घटाते हुए, जिसे पाने के लिए वह व्यक्ति पात्र है; और

(ग) उप–पैराग्राफ (क) के अंतर्गत परिकलित राशि को व्यक्ति की आय की तरह उपयोग कर, ऑस्ट्रेलिया के विधान में निर्धारित संगत दर गणक के अनुसार, उप–पैराग्राफ (ख) के अंतर्गत प्राप्त शेष लाभ पर लागू करते हुए।

4. जब कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से ऑस्ट्रेलिया छोड़ता है तो इस अनुच्छेद का पैराग्राफ 3, 26 सप्ताहों के लिए निरंतर रूप से लागू होगा।

5. जहां किसी दंपति का एक सदस्य या वे दोनों व्यक्ति या उसका या उसकी पार्टनर भारत के विधान के अंतर्गत लाभ या लाभों के हकदार हैं, तो इस अनुच्छेद और ऑस्ट्रेलिया के विधान के प्रयोजनार्थ, उनमें से प्रत्येक को उस लाभ की आधी राशि या संपूर्ण लाभ राशि, जैसा भी मामला हो, के प्राप्तकर्ता के रूप में माना जाएगा।

6. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के प्रयोजनार्थ, अतिरिक्त संतान राशि शून्य होगी।

भाग IV
भारत के लाभों से संबंधित प्रावधान

अनुच्छेद 15
बीमा अवधि का समेकन

जहां बीमा अवधियों की समाप्ति के अधीन भारत का विधान लाभों के अधिकारों का अधिग्रहण, प्रतिधारण या वसूली करता है, तो इस करार के प्रारंभण के बाद उपार्जित ऑस्ट्रेलिया में रह कर काम करने की अवधियां और व्यक्ति द्वारा भारत के विधान के अंतर्गत भारत की कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने से पहले तक की अवधियां, जब तक ये अवधियां बीमा की अवधियों के साथ परस्परव्याप्त न हों, जब भी आवश्यक हो, गणना में ली जानी चाहिएं।

अनुच्छेद 16
भारतीय लाभों का परिकलन

1. यदि कोई व्यक्ति आवश्यक रूप से समेकन की कार्रवाई पूरी किए बगैर भारत के विधान के अंतर्गत लाभ का हकदार है, तो भारत की सक्षम संस्था, भारत में पूरी की गई बीमा अवधि के आधार पर और केवल भारत के विधान के अंतर्गत सीधे लाभ हेतु हकदारी का परिकलन करेगी।

2. यदि कोई व्यक्ति भारत के विधान के आधार पर किसी लाभ का पात्र है और उसका अधिकार अनुच्छेद 15 के अनुसरण में ऑस्ट्रेलिया में रह कर काम करने की अवधियों को जोड़कर ही सृजित होता है, तो निम्नलिखित नियम लागू होंगे :

(क) सक्षम संस्था देय लाभ की सैद्धांतिक राशि का परिकलन इस प्रकार करेगी कि दोनों संविदात्मक पक्षों के विधान के अनुसार पूरी हुई समस्त अवधियां संपूर्ण रूप से भारतीय विधान के तहत अनन्य रूप से पूरी की गई, और

(ख) इसके बाद सक्षम संस्था (क) में निर्धारित राशि के आधार पर, अपने विधान के अंतर्गत समयावधियों के अंतराल के अनुपात में, (क) में परिकलित सभी अवधियों के संबंध में, देय राशि का परिकलन करेगी।

3. यदि भारत के विधान के अंतर्गत पूरी की गई बीमा अवधियों का अंतराल 12 महीनों से कम है, तो भारत की सक्षम संस्था के लिए अनुच्छेद 15 में दिए गए समेकन का प्रयोग किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

4. ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को भारत के विधान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के लिए यथा निर्धारित एकमुश्त भुगतान एवं निकासी सुविधा प्रदान की जाएगी।

भाग–V
विविध एवं प्रशासनिक प्रावधान

अनुच्छेद 17
दस्तावेजों को दायर करना

1. इस करार के आधार पर या अन्यथा देय किसी लाभ से संबंधित कोई दावा, नोटिस या अपील इस करार के अनुच्छेद 20 के अनुसरण में बनाए गए प्रशासनिक प्रबंध के अनुसार दोनों में से एक संविदात्मक पक्ष के क्षेत्र में दायर किया जा सकता है।

2. जिस दिन इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में संदर्भित कोई दावा, नोटिस या अपील एक संविदात्मक पक्ष की सक्षम संस्था में दायर की जाती है वह तारीख दूसरे संविदात्मक पक्ष की सक्षम संस्था में वह दस्तावेज दायर करने की तारीख मानी

जाएगी। जिस सक्षम संस्था में दावा, नोटिस या अपील दायर की जाती है, वह उसे बिना किसी देरी के दूसरे संविदात्मक पक्ष की सक्षम संस्था को भेज देगी।

3. किसी संविदात्मक पक्ष से लाभ के दावे को उस स्थिति में दूसरे संविदात्मक पक्ष के समकक्ष लाभ हेतु दावा समझा जाएगा जब दावेदार ने उस दावे में इस तथ्य का उल्लेख किया हो कि दूसरे संविदात्मक पक्ष की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली इससे संबंद्ध है या थी और बशर्ते कि दूसरा संविदात्मक पक्ष समकक्ष लाभ का पूर्ण दावा फॉर्म पहले दावे को दायर करने के 12 महीनों के अन्दर प्राप्त करे।

4. अपील दस्तावेज में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 का संदर्भ अपील से संबंधित उस दस्तावेज से है, जो संबंधित विधान द्वारा या प्रशासनिक प्रयोजनार्थ, स्थापित किसी प्रशासनिक निकाय को की जा सके।

अनुच्छेद 18
लाभों का भुगतान

1. यदि कोई संविदात्मक पक्ष अपने क्षेत्र से बाहर मुद्रा के अंतरण पर कानूनी या प्रशासनिक प्रतिबंध लगाता है, तो उस संविदात्मक पक्ष को उस संविदात्मक पक्ष के विधान के अन्तर्गत या इस करार के आधार पर देय लाभों के भुगतान और उन्हें प्रदान करने संबंधी अधिकारों की गारंटी को सुनिश्चित करने हेतु, व्यावहारिक उपायों को यथाशीघ्र कार्यान्वित करना चाहिए। ये उपाय प्रतिबंध लगाए जाने के समय से पूर्वप्रभाव से प्रवर्तित होंगे।

2. इस करार के आधार पर किसी संविदात्मक पक्ष द्वारा देय किसी लाभ का, उक्त लाभ को प्रोसेस करने और भुगतान करने हेतु सरकारी प्रशासनिक शुल्कों और प्रभारों को घटाए बिना, भुगतान किया जाना चाहिए।

3. जहां, किसी संविदात्मक पक्ष के विधान के अन्तर्गत, उस संविदात्मक पक्ष के किसी सक्षम प्राधिकरण या सक्षम संस्था को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को कांसुलर

प्रभारों सहित, प्रशासनिक शुल्क से आंशिक या पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है, तो यह छूट दूसरे संविदात्मक पक्ष के विधान के अनुसार, उस संविदात्मक पक्ष के किसी सक्षम प्राधिकरण या सक्षम संस्था को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर भी लागू होगी।

4. इस करार के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज एवं प्रमाणपत्रों को राजनयिक एवं कॉन्सुलर प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणीकरण से छूट प्राप्त होगी।

अनुच्छेद 19
सूचना का आदान–प्रदान एवं परस्पर सहायता

1. इस करार को लागू करने के लिए उत्तरदायी सक्षम प्राधिकरण एवं सक्षम संस्थान उनके राष्ट्रीय कानूनों द्वारा अनुमत सीमा तक :

(क) इस करार को लागू करने या उनके विधान के प्रयोजनों के लिए आवश्यक किसी भी सूचना का परस्पर आदान–प्रदान करेंगे;

(ख) इस करार या उस विधान के अन्तर्गत जिसमें यह करार लागू होता है के तहत किसी लाभ के निर्धारण या भुगतान के संबंध में उसी प्रकार कार्य करेंगे जैसे कि मामले में उनके स्वयं के विधान की अनुप्रयोज्यता निहित हो और इससे संबंधित आवश्यक सूचना के आदान–प्रदान सहित परस्पर सहायता प्रदान करेंगे; और

(ग) इस करार को लागू करने के लिए उनके द्वारा किए गए उपायों या अपने संबंधित कानूनों में आए ऐसे परिवर्तनों, जो इस करार के लागू होने को प्रभावित कर सकते हैं, के बारे में एक–दूसरे को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।

2. इस करार के अनुच्छेद 20 के अनुसरण में तैयार किए गए प्रशासनिक प्रबंध के अधीन इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में संदर्भित सहायता निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

3. जब तक किसी संविदात्मक पक्ष के कानूनों के अन्तर्गत प्रकटन की आवश्यकता न पड़े, तब तक किसी संविदात्मक पक्ष या उस संविदात्मक पक्ष की सक्षम संस्था द्वारा इस करार के अनुसार दूसरे संविदात्मक पक्ष के सक्षम प्राधिकरण या सक्षम संस्था को प्रेषित की गई किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी सूचना गोपनीय होगी और इस करार और उस विधान के कार्यान्वयन के लिए प्रयोग की जाएगी जिस पर यह लागू होता है।

4. किसी भी परिस्थिति में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 3 के प्रावधान ऐसे नहीं माने जाएंगे कि वे संविदात्मक पक्ष के सक्षम प्राधिकरण या सक्षम संस्था के ऊपर निम्नलिखित बाध्यता अधिरोपित करते हों :

(क) दोनों में से एक संविदात्मक पक्ष के कानूनों या प्रशासनिक पद्धतियों से भिन्न प्रशासनिक उपाय करना; अथवा

(ख) ऐसी सूचना उपलब्ध कराना जो दोनों में से एक पक्ष के कानूनों के अंतर्गत या सामान्य प्रशासनिक परिपाटी में सामान्य रूप से प्राप्य नहीं है।

5. इस करार अनुप्रयोज्यता में किसी संविदात्मक पक्ष का सक्षम प्राधिकरण और सक्षम संस्था दूसरे से संविदात्मक पक्षों की किसी भी एक राजभाषा में पत्राचार कर सकते हैं।

6. किसी संविदात्मक पक्ष के सक्षम प्राधिकरण या सक्षम संस्था को प्रस्तुत किए गए दस्तावेज केवल इस आधार पर निरस्त नहीं किए जाएंगे कि वे दूसरे संविदात्मक पक्ष की राजभाषा में लिखे गए हैं।

7. संविदात्मक पक्षों की सक्षम संस्थाएं, यथा–सहमत समय–सारणी में एक दूसरे को, मृत्यु, पते में परिवर्तन, सबंधन हैसियत में परिवर्तन और आपसी लाभार्थियों के

लिए हितलाभों की राशि में परिवर्तन समेत किंतु इतने तक सीमित नहीं, प्रासंगिक सूचना, सहमत फॉर्मेट में, उपलब्ध कराएंगी।

अनुच्छेद 20
प्रशासनिक प्रबंध

संविदात्मक पक्षों के सक्षम प्राधिकरण, एक प्रशासनिक प्रबंध के माध्यम से, इस करार के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक उपाय स्थापित करेंगे।

अनुच्छेद 21
आकड़ों का आदान–प्रदान

संविदात्मक पक्षों के सक्षम प्राधिकरण इस समझौते के अनुसरण में लाभार्थियों को किए गए भुगतान के वार्षिक आंकड़ों का आदान–प्रदान करेंगे। इन आंकड़ों में लाभार्थियों की संख्या और प्रदत्त लाभों की कुल राशि शामिल होगी और सक्षम संस्थाओं द्वारा सहमत प्रारूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।

अनुच्छेद 22
विवादों का निपटान

1. संविदात्मक पक्षों के सक्षम प्राधिकरण इस करार की व्याख्या करने या इसे इसकी भावना और मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप लागू करने में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्याओं का, जहां तक संभव हो सके, निराकरण करेंगे।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुसार सक्षम प्राधिकरणों द्वारा जिन मामलों का निराकरण नहीं किया गया है, उन पर दोनों संविदात्मक पक्षों में से किसी एक के भी अनुरोध पर संविदात्मक पक्ष शीघ्र परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद 23
करार की समीक्षा

जब कोई संविदात्मक पक्ष दूसरे संविदात्मक पक्ष से इस करार की समीक्षा करने हेतु अनुरोध करता है, तो संविदात्मक पक्ष अनुरोध की तिथि से छः महीने के भीतर उस उद्देश्य के लिए बैठक करेंगे और जब तक संविदात्मक पक्ष अन्यथा व्यवस्था न करें, उनकी बैठक उस संविदात्मक पक्ष के क्षेत्र में आयोजित की जाएगी, जिससे उक्त अनुरोध किया गया था।

भाग VI
परिवर्ती एवं अंतिम प्रावधान

अनुच्छेद 24
परिवर्ती प्रावधान

1. यह करार, इसके लागू होने की तिथि से पहले किसी अवधि के लिए लाभ के किसी भी प्रकार के अधिकार को स्थापित नहीं करेगा।

2. इस करार में अन्यथा प्रावधानित के अतिरिक्त, इस करार के तहत लाभों की हकदारियों को निर्धारित करते समय, इस करार के लागू होने से पूर्व, ऑस्ट्रेलिया में निवास की अवधियों, ऑस्ट्रेलिया में रह कर काम करने की अवधियों और भारत में बीमा की अवधियों को शामिल किया जाएगा।

3. यह करार उन बीमा अवधियों पर लागू नहीं होगा जिनका परिसमापन एकमुश्त भुगतान या अंशदानों की प्रतिपूर्ति द्वारा किया गया हो।

4. अनुच्छेद 7 का पैराग्राफ 2 और अनुच्छेद 8 का पैराग्राफ 2 इस करार के लागू होने की तारीख से ही प्रवृत्त होंगे, चाहे कर्मचारी को उनके नियोक्ता द्वारा इस तारीख से पहले भेजा गया हो। इस प्रयोजनार्थ, अन्यत्र अस्थायी परिनियोजन की अवधि इस करार के लागू होने की तिथि से शुरू होगी।

अनुच्छेद 25
लागू होना

यह करार उस महीने के उपरांत तीसरे महीने की पहली तारीख को लागू होगा, जिसमें संविदात्मक पक्षों द्वारा राजनयिक माध्यम से इस आशय की टिप्पणियों का आदान–प्रदान किया गया हो जिनमें परस्पर यह सूचित किया गया हो कि, इस समझौते को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सभी मामलों को अंतिम रुप दे दिया गया है।

अनुच्छेद 26
समाप्ति

1. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के अधीन, यह करार उस तारीख से 12 महीने तक लागू रहेगा जिस तारीख को एक संविदात्मक पक्ष को राजनयिक माध्यम से दूसरे संविदात्मक पक्ष से इस समझौते को समाप्त करने का नोटिस देते हुए टिप्पणी प्राप्त होती है।

2. समाप्ति की स्थिति में, यह करार उन सभी व्यक्तियों के मामले में प्रभावी बना रहेगा जो :

(क) समाप्ति की तारीख को, लाभ पा रहे हों;

अथवा

(ख) उस तारीख से पहले जिन्होंने दावे दायर किए हों, और जो इस करार के आधार पर लाभ पाने के हकदार होंगे; अथवा

(ग) समाप्ति की तारीख से ठीक पहले, करार के भाग II के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 2 और अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 2 के आधार पर, केवल एक संविदात्मक पक्ष के विधान के अधीन हों, बशर्ते कि कर्मचारी उन अनुच्छेदों के मानदंडों को सतत रूप से पूरा करता हो।

के साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी ने, जिन्हें संबंधित सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत किया गया है, द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज कैनबरा में, दिनांक 18 नवम्बर, 2014 को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए, सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। व्याख्या में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से

केवीन एंड्रयूज
सामाजिक सेवा मंत्री

भारत गणराज्य की ओर से

बिरेन नंदा
उच्चायुक्त